न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 60 / 2024

श्री सिकंदर खान पुत्र गणी खान निवासी गुर्जरो का मोहल्ला वार्ड नम्बर 04 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.12.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आनॅलाइन आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 क्या मेरे चाचा के जाति प्रमाण पत्र मेरी जमीन की जमाबंदी और मेरे पिता के पूरानी पहचान पत्र के आधार पर मेरा और मेरे पिता का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है?

2 अगर बन सकता है, तो इसके लिए मुझे किन—किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

3 यदि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो कृपया उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 1511 दिनांक 15.10.2024, 1619 दिनांक 30.10.2024 व 1678 दिनांक 19.11.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 632 दिनांक 08.11.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 631 दिनांक 08.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)